रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 595] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2014/फाल्गुन 16, 1935
No. 595] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2014/PHALGUNA 16, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2014

का. आ. 697(अ).—केंन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 2948 (अ) तारीख 30 सितंम्बर 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II खण्ड 3, उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के गीर सोमनाथ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी के **106.815 कि.मी. से 127.000 कि.मी.** (गीर सोमनाथ सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचनाओं का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप–धारा (3) के अधीन तारीख 11 अक्तूबर 2013, को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' 'दिव्या भास्कर' और 'राजस्थान पत्रिका' में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों के अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) के अनुसरण में केंन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केंन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप–धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8डी के 106.815 कि.मी. से 127.000 कि.मी. तक (गीर – सोमनाथ सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				उप विभाजन से पहले	उप विभाजन के बाद				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	गीर – सोमनाथ	वेरावळ	1.चांडुवाव	93	93	निजी	खेती	0.0487	हमीरभाइ करशनभाइ सोलंकी
				97/2	97/2/P1	निजी	खेती	0.0791	वरजांगभाइ जगमालभाइ सोलंकी
					97/2/P2	निजी	खेती	0.0957	इश्माइलभाइ इ्भामभाइ खातुबेन इश्माइलभाइ नसरीनबेन इश्माइलभाइ ताहीराबेन इश्माइलभाइ साहीराबेन इश्माइलभाइ याश्मीनबेन इश्माइलभाइ सादीयाबेन इश्माइलभाइ अनीसाबेन इश्माइलभाइ
				3	3	निजी	खेती	0.0421	सेजीबेन देसाभाइ रामभाइ देसाभाइ देवसीभाइ देसाभाइ हिराभाइ देसाभाइ मालदेभाइ देसाभाइ जीवीबेन देसाभाइ डाइबेन देसाभाइ
			2. डारी	1008	1008	निजी	खेती	0.1047	कुंवरबेन रामभाइ बारड रानाभइ रामभाइ बारड जादवभाइ रामभाइ बारड राजाभाइ रामभाइ बारड हमीरभाइ रामभाइ बारड भगाभाइ रामभाइ बारड
				1007	1007	निजी	खेती	0.2509	देशाभाइ मेरामणभाइ

				1006	1006	निजी	खेती	0.1509	हमीरभाइ मेरामणभाइ रामशीभाइ मेरामणभाइ नारंगीबेन बाबुलाल शाह मुकेशकुमार बाबुलाल शाह
				1005	1005	निजी	खेती	0.0504	हमीरभाइ मेरामणभाइ रामशीभाइ मेरामणभाइ नारंगीबेन बाबुलाल शाह मुकेशकुमार बाबुलाल शाह
				979/1	979/1/P2	निजी	खेती	0.0856	सोहेलभाइ इसाकभाइ मकलाइ आादीलभाइ महमददभाइ मकलाइ
					979/1/P1	निजी	खेती	0.0078	लखमणभाइ जेसाभाइ
						Total Hec.		0.9159	

[फा. सं. भाराराप्रा/11011/गुजरात/राजकोट/एलए]

वी, कृष्णास्वामी उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2014

S.O 697(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 2948(E) dated the 30th September, 2013** published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8D on the stretch of land from km. 106.815 to km. 127.000 (Gir-Somnath section) in the District Gir Somnath, in the state of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in **"TIMES OF INDIA" and "DIVYA BHASKAR" and "RAJASTHAN PATRIKA" dated the 11th October, 2013** under sub-section (3) of section 3A of the said Act ;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority ;

And whereas, in pursuance of sub section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government ;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE-D

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.106.815 to Km.127.000 (Gir-Somnath Section) of the National Highway Number-8D in the State of Gujarat.

Serial No.	Name of district	Name of taluka	Name of village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the landowners / Interested persons
				Before Partition	After Partition				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Gir-Somnath	Veraval	1.Chan-duvav	93	93	Private	Agri-cultural	0.0487	Hamirbhai Karshanbhai Solanki
				97/2	97/2/P1	Private	Agri-cultural	0.0791	Varjangbhai Jagmalbhai Solanki
					97/2/P2	Private	Agri-cultural	0.0957	Ismailabhai Ibrahimbhai Khatunben Ismailabhai Nasrinben Ismailabhai Tahiraben Ismailabhai Shahiraben Ismailabhai Yasminben Ismailabhai Sadiyaben Ismailabhai Anishaben Ismailabhai
				3	3	Private	Agri-cultural	0.0421	Sejiben Desabhai Rambhai Desabhai Devsibhai Desabhai Hirabhai Desabhai Maldebhai Desabhai Jiviben Desabhai Daiben Desabhai
			2. Dari	1008	1008	Private	Agri-cultural	0.1047	Kunvarben Rambhai Barad Ranabhai Rambhai Barad Jadavbhai Rambhai Barad Rajabhai Rambhai Barad Hamirbhai Rambhai Barad Bhagabhai Rambhai Barad
				1007	1007	Private	Agri-cultural	0.2509	Deshabhai Meramanbhai
				1006	1006	Private	Agri-cultural	0.1509	Hamirbhai Meramanbhai Ramsibhai Meramanbhai Narngiben Babulal Shah Mukeshkumar Babulal Shah
				1005	1005	Private	Agri-cultural	0.0504	Hamirbhai Meramanbhai Ramsibhai Meramanbhai Narngiben Babulal Shah Mukeshkumar Babulal Shah

				979/1	979/1/P2	Private	Agri-cultural	0.0856	Sohelbhai Ishakbhai Maklai Adilbhai Mahamadbhai Maklai
					979/1/P1	Private	Agri-cultural	0.0078	Lakhmanbhai Jesabhai
						Total Hec.		**0.9159**	

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA]

V. KRISHNASWAMY, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.